न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर (जिला चूरू)
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर.ए.एस.)
वादपत्र संख्या 49/2020
अनुवान ठाकरराम आदि बनाम राजस्थान राज्य
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट
एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट
निर्णय दिनांक 23.10.2020

ठाकरराम पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी राजास तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

परमेश्वरी पत्नी ठाकरराम जाति जाट निवासी राजास तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

–वादीगण–

बनाम्

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरू

–प्रतिवादी–

उपस्थितिः

1. एडवोकेट श्री महेन्द्र कुमार सींवर वास्ते वादीगण।
2. तहसीलदार सरदारशहर वास्ते प्रतिवादी।

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण की सह खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 3 रकबा 4.5500 हैक्टेयर, ख0 नं0 306 रकबा 2.5300 हेक्टेयर कुल रकबा 7.0800 हैक्टेयर रोही मौजा राजास तहसील सरदारशहर में अवस्थित है। वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी सं0 1 का नाम ठाकरसिंह पुत्र मघाराम एवं वादी सं0 2 का नाम परमेश्वरी पत्नी ठाकरसिंह अशुद्ध दर्ज है। जबकि वादी सं0 1 का शुद्ध नाम ठाकरराम पुत्र मघाराम एवं वादी सं0 2 का शुद्ध नाम परमेश्वरी पत्नी ठाकरराम है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.11.03 13:11:38 IST
Reason: SelfAttested

वादगत कृषि भूमि में वादी सं0 1 का नाम एवं वादी सं0 2 के पति का नाम ठाकरराम के स्थान पर ठाकरसिंह राजस्व कर्मचारियों की सहबन से रही त्रुटिवश अशुद्ध दर्ज कर दिया गया। उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के दो भिन्न–भिन्न नाम हैं। वादी सं0 1 का नाम एवं वादी सं0 2 के पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अशुद्ध है। राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण उक्त नाम शुद्ध करवाने की घोषणा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड शुद्ध दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी सं0 1 का नाम एवं वादी सं0 2 के पति का नाम वादीगण के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक, जनआधार कार्ड, सरपंच प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों में ठाकरराम पुत्र मघाराम एवं परमेश्वरी पत्नी ठाकरराम अंकित है। जो कि सत्य व सही है। ठाकरसिंह पुत्र मघाराम एवं परमेश्वरी पत्नी ठाकरसिंह नाम वादगत अभिलेख के अतिरिक्त कहीं भी अंकित नहीं है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों में गलत दर्ज नाम शुद्धिकरण किये जाने योग्य है। वादी सं0 1 का वास्तविक नाम ठाकरराम पुत्र मघाराम एवं वादी सं0 2 का वास्तविक नाम परमेश्वरी पत्नी ठाकरराम है जबकि राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में ठाकरसिंह पुत्र मघाराम व परमेश्वरी पत्नी ठाकरसिंह अंकित होने से वादीगण को बैंक ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा अथवा अन्य कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में अलग–अलग नाम होने से कई कानूनी पेचिदगियों का सामना वादीगण को करना पड़ता है। इसलिए वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि राजस्व रेकॉर्ड में भूलवश दर्ज नाम ठाकरसिंह के स्थान पर सही नाम ठाकरराम दर्ज करवाये जिसके लिए यह दावा वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादीगण ने कभी अपनी कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड का पता नहीं किया। अब राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियां अपना खाता केन्द्र से प्राप्त की तो वादीगण को इस अशुद्ध राजस्व रिकॉर्ड का पता चला। इस कारण राजस्व रेकॉर्ड की नकले प्राप्त करने से दावा अन्दर मियाद पेश है। राजस्व रिकॉर्ड की नकले हासिल करके वादीगण प्रतिवादी से मिले और इस गलत राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वादी सं0 1 का नाम एवं वादी सं0 2 के पति का नाम ठाकरसिंह के स्थान पर सही नाम ठाकरराम दर्ज करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने कहा कि SDO साहब के यहां कार्यवाही करो। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा इन्कार करने से दावा प्रस्तुत करने का कारण व दावा प्रस्तुत का हैतुक वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि होने से है। वादगत कृषि भूमि ग्राम राजास तहसील सरदारशहर जिला चूरू में स्थित होने से

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.11.03 13:11:38 IST
Reason: SelfAttested

दावा हाजा के सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है। दावा उचित न्याय शुल्क पर हर प्रकार से अन्दर मियाद पेश है।

वादीगण ने वाद पेश कर स्वयं की कृषि भूमि ख0 नं0 3 रकबा 4.5500 हैक्टेयर, ख0 नं0 306 रकबा 2.5300 हेक्टेयर कुल रकबा 7.0800 हैक्टेयर रोही मौजा राजास तहसील सरदारशहर के राजस्व रेकॉर्ड में संशोधन कर वादी सं0 1 का नाम ठाकरसिंह पुत्र मघाराम के स्थान पर ठाकरराम पुत्र मघाराम एवं वादी सं0 2 का नाम परमेश्वरी पत्नी ठाकरसिंह के स्थान पर परमेश्वरी पत्नी ठाकरराम दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

वाद पेश होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। राज पैरोकार उपस्थित आये एवं जबाब दावा पेश किया जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम ठाकरसिंह पुत्र मघाराम व परमेश्वरी पत्नी ठाकरसिंह अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर सही नाम क्रमशः ठाकरराम पुत्र मघाराम व परमेश्वरी पत्नी ठाकरराम घोषित किया जाता है तो राज्य पक्ष ने ऐतराज नहीं होना जाहिर किया है।

वादी द्वारा साक्ष्यवादी में निम्नांकित प्रदर्श प्रस्तुत किये गयें–

1. जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 खसरा नम्बर 3, 306 की छायाप्रति।
2. वादी के आधार कार्ड की छायाप्रति (ठाकर राम)।
3. वादी के राशन कार्ड की छायाप्रति।
4. मतदाता फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति (ठाकर राम)।
5. पैन कार्ड की छायाप्रति(ठाकर राम)।
6. वादी के आधार कार्ड की छायाप्रति (परमेश्वरी)।
7. मतदाता फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति (परमेश्वरी)।
8. पैन कार्ड की छायाप्रति (परमेश्वरी)।
9. वादी के बैंक बास बुक की छायाप्रति(परमेश्वरी)।
10. वादी के राशन कार्ड की छायाप्रति।
11. वादी के जनआधार कार्ड की छायाप्रति।
12. कार्यालय ग्राम पंचायत मेलूसर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात, शपथ पत्र एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान उभय पक्षकारान द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया जिससे यह सामने आया कि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम ठाकरराम अंकित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.11.03 13:11:38 IST
Reason: SelfAttested

अतः वर्णित विवेचन से वाद पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता हैं अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि ख0 नं0 3 रकबा 4.5500 हैक्टेयर, ख0 नं0 306 रकबा 2.5300 हेक्टेयर कुल रकबा 7.0800 हैक्टेयर रोही मौजा राजास तहसील सरदारशहर के राजस्व रेकॉर्ड में संशोधन कर वादी सं0 1 का नाम ठाकरसिंह पुत्र मघाराम व परमेश्वरी पत्नी ठाकरसिंह अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम ठाकरराम उर्फ ठाकरसिंह पुत्र मघाराम व परमेश्वरी पत्नी ठाकरराम उर्फ परमेश्वरी पत्नी ठाकरसिंह दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं। पर्चा डीक्री जारी हो।

क. सं.	ग्राम	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं)
1.	राजास	3, 306	ठाकरसिंह पुत्र मघाराम व परमेश्वरी पत्नी ठाकरसिंह	ठाकरराम उर्फ ठाकरसिंह पुत्र मघाराम व परमेश्वरी पत्नी ठाकरराम उर्फ ठाकरसिंह

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 23.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.11.03 13:11:38 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D')
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर. ए. एस.)
वादपत्र संख्या 49/2020
अनुवान ठाकरराम आदि बनाम राजस्थान राज्य
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट
एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री महेन्द्र कुमार सींवर एडवोकेट एवं पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि ख0 नं0 3 रकबा 4.5500 हैक्टेयर, ख0 नं0 306 रकबा 2.5300 हेक्टेयर कुल रकबा 7.0800 हैक्टेयर रोही मौजा राजास तहसील सरदारशहर के राजस्व रेकॉर्ड में संशोधन कर वादी सं0 1 का नाम ठाकरसिंह पुत्र मघाराम व परमेश्वरी पत्नी ठाकरसिंह अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम ठाकरराम उर्फ ठाकरसिंह पुत्र मघाराम व परमेश्वरी पत्नी ठाकरराम उर्फ परमेश्वरी पत्नी ठाकरसिंह दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं।

....

.....बीज......................................मुबलि ....बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 10 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत....................

मुहर

ओहदा ....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
मुतफर्रिक	02	00	मुतफर्रिक	00	00
मिजान	05	00	मिजान	00	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.11.03 13:11:38 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.11.03 13:11:38 IST
Reason: SelfAttested